अध्याय VII
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय VII: विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

बिहार सरकार के उद्योग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना प्रावैधिकी तथा जल संसाधन विभागों के अंतर्गत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा

नमूनाकृत कई अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के प्रतिष्ठान/परिसर उनके पंजीकृत पते पर नहीं थे। इन सा0क्षे0उ0 के प्रशासनिक विभागों ने परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। इन सा0क्षे0उ0 ने कम्पनी अधिनियम, 1956/2013, के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ, लेखाओं की उचित पुस्तकें बनाई नहीं थी/रख-रखाव नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप लेखे बकाया थे। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, न तो सा0क्षे0उ0, और न ही राज्य सरकार ने, इन अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना/प्रस्ताव तैयार किया था। अग्रेतर, प्रशासनिक निर्णयों में विलम्ब के कारण, इन सा0क्षे0उ0 के समापन/परिसमापन/सूची से नाम काटने की प्रक्रिया, लंबे समय से लंबित थी, जिससे वेतन के उपार्जन तथा कर्मचारियों की अन्य हकदारियों के रूप में, सा0क्षे0उ0/बिहार सरकार के लिए अतिरिक्त देनदारियाँ सृजित हो गई थी। राज्य सरकार पर, इन सा0क्षे0उ0 के वेतन/पेंशन तथा अन्य संबंधित वैधानिक दायित्वों (ई0पी0एफ0 आदि) के प्रति, ₹ 399.08 करोड़ (अगस्त 2022) की देनदारियाँ बकाया हो गई थीं।

7.1 परिचय

31 मार्च 2022 तक, बिहार राज्य में, 77 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा0क्षे0उ0) थे। इन सा0क्षे0उ0 की स्थापना राज्य की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। हालाँकि, समय के साथ, इनमें से कई सा0क्षे0उ0 अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहे, इसके अतिरिक्त, वे अपनी निवेशित पूंजी पर लाभांश का भुगतान करने में भी विफल रहे, साथ ही अपने कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी वितरित करने में विफल रहे, जिसके कारण वे अकार्यशील बन गए। 31 मार्च 2022 तक, बिहार सरकार के 10 विभागों के नियंत्रणाधीन, 40 अकार्यशील राज्य सा0क्षे0उ0 थे। सोन कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी (स्काडा), पटना (जल संसाधन विभाग), के नियंत्रणाधीन पांच सा0क्षे0उ0[1] के संबंध में, अगस्त 2000 में ही बंद करने की स्वीकृति दे दी गई थी। एक उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर, राज्य सरकार ने, एक संकल्प द्वारा, 27 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को बंद करने का निर्णय लिया (2003) था तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों को कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार, उनके समापन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। शेष आठ अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, चार अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को बंद करने के संबंध में निर्णय पिछले वर्षों में लिया गया था तथा चार सा0क्षे0उ0 के समापन/पुनरुद्धार के संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया था **(परिशिष्ट 7.1)**।

---

[1] पाँच अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से चार (**परिशिष्ट 7.1** की क्रम संख्या 19 से 22 तक) को इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था तथा शेष एक (**परिशिष्ट 7.1** की क्रम संख्या 31 पर) को इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, इन निर्णयों के 19 से 22 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी, ये अकार्यशील सा0क्षे0उ0 अभी भी परिसमापन/समापन के विभिन्न चरणों में थे।

7.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी:

- इन अकार्यशील राज्य सा0क्षे0उ0 की वर्तमान स्थिति, उनकी स्थापना, मानवशक्ति, अभिलेखों/दस्तावेजों की उपलब्धता, लेखाओं की उचित पुस्तकों का रख–रखाव तथा बजटीय सहायता की उपयोगिता
- क्या उनके पास अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी तथा उन्होंने सहायक दस्तावेजों के साथ उचित अभिलेखों/अचल परिसंपत्ति पंजी का रख–रखाव किया था
- क्या संबंधित प्रशासनिक विभागों ने उनके पुनरूद्धार के लिए कदम उठाये थे एवं
- पुनरूद्धार/समापन/परिसमापन/सूची से नाम काटने[2] के संबंध में, इन सा0क्षे0उ0 की वर्तमान स्थिति।

7.3 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मानदंड में शामिल थे :

- कम्पनी अधिनियम, 1956/2013
- राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं निर्देश
- बिहार सरकार एवं सा0क्षे0उ0 के संबंधित प्रशासनिक विभागों के परिपत्र/आदेश/अभिलेख।

7.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कार्यपद्धति

''बिहार सरकार के उद्योग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना प्रावैधिकी तथा जल संसाधन विभागों के अंतर्गत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा'' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस0एस0सी0ए0), 22 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लिए, 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए की गयी थी।

लेखापरीक्षा की कार्यपद्धति में इन सा0क्षे0उ0 के साथ–साथ, उनके प्रशासनिक विभागों के अभिलेखों; इन अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की स्थापना एवं मानवशक्ति के संबंध में भौतिक अस्तित्व; बजटीय सहायता की प्राप्ति एवं उपयोग; उनकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्थापित प्रणाली; लेखाओं की पुस्तकों एवं सहायक दस्तावेजों का रखरखाव तथा इन सा0क्षे0उ0 के पुनरुद्धार/बंद करने से सम्बंधित नीतिगत निर्णयों की संवीक्षा शामिल थे। कुछ मामलों में, संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया था।

---

[2] पुनरुद्धार: नई पूँजी लगाकर किसी कम्पनी की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया।
समापन: किसी कम्पनी के व्यवसाय को न्यायाधिकरण द्वारा अथवा स्वैच्छिक विघटन करने की एक विधिक प्रक्रिया।
परिसमापन: परिसमापन एक कम्पनी के व्यवसाय को बंद करने की प्रक्रिया है जो दिवालिया हो गई है (अपने वित्तीय दायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकती है) तथा अपनी परिसम्पत्ति को दावेदारों में वितरित कर रही है।
सूची से नाम काटना: कम्पनी की सभी देनदारियों को समाप्त करने के पश्चात्, समापन की यह प्रक्रिया एक वैकल्पिक तंत्र है जिसमें दो प्रकार यथा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) एवं धारा 248(2) के अन्तर्गत क्रमशः, आर0ओ0सी0 (कम्पनी रजिस्ट्रार) द्वारा सूची से नाम काटना एवं कम्पनी द्वारा स्वसहमति से सूची से नाम काटना, शामिल हैं।

इस एस0एस0सी0ए0 में शामिल करने के लिए, 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 22 का नमूना चयन किया गया था। जिन विभागों में तीन या अधिक अकार्यशील सा0क्षे0उ0 हैं तथा जिन कम्पनियों के लेखे 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया में हैं, उनका नमूना चयन किया गया था। सा0क्षे0उ0, जिनका सूची से नाम काट[3] दिया गया था, अथवा जो परिसमापन[4] के अधीन थे, अथवा जिसके द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए वाद दायर[5] किए गए थे, अथवा जिनकी संपत्ति[6] ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा बिक्री कर दी गई थी, को शामिल नहीं किया गया था।

संबंधित विभागों के प्रधान/अपर/विशेष/उप सचिव के साथ इस एस0एस0सी0ए0 का प्रवेश सम्मेलन 28 जून 2022 (उद्योग विभाग), 11 जुलाई 2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग), 01 अगस्त 2022 (जल संसाधन विभाग) एवं 05 अगस्त 2022 (सूचना प्रावैधिकी विभाग) को आयोजित किये गये थे। विभागों के साथ किये गये प्रवेश सम्मेलन में, लेखापरीक्षा उद्देश्य, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के फलस्वरूप लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विचार विमर्श एवं विभागों के विचार एवं प्रतिक्रियाओं के लिए, 19 जुलाई 2022 (उधोग विभाग), 08 अगस्त 2022 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग), 02 अगस्त 2022 (जल संसाधन विभाग) एवं 10 अगस्त 2022 (सूचना प्रावैधिकी विभाग) को प्रधान/अपर/विशेष/उप सचिव के साथ निकास सम्मेलन आयोजित किये गये थे।

7.5 वित्तीय स्थिति

नमूना चयनित 22 सा0क्षे0उ0 की प्रदत्त पूंजी ₹ 42.05 करोड़ थी एवं उनके दीर्घकालिक ऋण ₹ 378.82 करोड़ थे। इन 22 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की संचित हानियाँ ₹ 272.35 करोड़ थी। इनमें से, उद्योग विभाग के 13 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की प्रदत्त पूंजी ₹ 33.64 करोड़ (80 प्रतिशत), दीर्घकालिक ऋण ₹ 378.82 करोड़ (100 प्रतिशत) तथा संचित हानियाँ ₹ 270.33 करोड़ (99.25 प्रतिशत) थी। इस प्रकार, उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कम्पनियों के पास, निवेश एवं ऋण का प्रमुख अंश था। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2017–18 से अगस्त 2022 **(परिशिष्ट 7.2)** की अवधि के दौरान, 22 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पांच को, ₹ 130.03 करोड़ का बजटीय सहायता प्रदान किया था।

7.6 लेखापरीक्षा परिणाम

चूँकि राज्य सरकार ने, अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से, इन अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से किसी को भी पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, अतः, केवल इन अकार्यशील कंपनियों के परिसंपत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

---

[3] बेल्ट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कंपनी खगौल लिमिटेड।

[4] बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट फिनिश्ड लेदर लिमिटेड, बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड।

[5] बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड।

[6] सिंथेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लिमिटेड।

7.6.1 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वर्तमान स्थिति

इस तथ्य के बावजूद कि ये सा0क्षे0उ0 अकार्यशील हो गए थे, उनकी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का निपटान अभी तक नहीं किया गया था। अपनी संपत्तियों और देनदारियों को निपटाने की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु, सा0क्षे0उ0 के पास एक उचित कार्यालय प्रतिष्ठान के साथ–साथ, न्यूनतम मानवशक्ति का होना आवश्यक था ताकि वैधानिक दायित्वों के अनुपालन के लिए, समापन की प्रक्रिया पूरी होने तक, मूलभूत अभिलेखों, लेखाओं की पुस्तकों का रख–रखाव हो सके तथा उनकी सुरक्षा की जा सके।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 22 नमूना चयनित सा0क्षे0उ0 में से, 13 का प्रतिष्ठान/परिसर, कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत पते पर अवस्थित नहीं था। कम्पनी रजिस्ट्रार, पटना के साथ पते को अद्यतन किए बिना, उन्हें या तो उनकी होल्डिंग कंपनियों के मुख्यालयों अथवा उनके प्रशासनिक विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया था **(परिशिष्ट 7.3)**। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/सूचना के अनुसार, न तो इन सा0क्षे0उ0 ने कम्पनी रजिस्ट्रार को अपने पते के परिवर्तन के संबंध में सूचित किया था न ही कम्पनी रजिस्ट्रार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की थी।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि (i) दो सा0क्षे0उ0 की संपत्ति एवं परिसर बिहार इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी (बियाडा) को हस्तांतरित किये गये, (ii) छः सा0क्षे0उ0 के पंजीकृत पते पर सरकारी/निजी कार्यालय/निजी संपत्तियाँ विद्यमान थी, (iii) पाँच सा0क्षे0उ0 के संबंध में, कम्पनी रजिस्ट्रार के पंजीकृत पते को ढूंढ़ा नहीं जा सका। संज्ञान में आये कुछ मामलों को ***चित्र 1 से 3*** में दर्शाया गया हैं।

चित्र 1: कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत, बिहार स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (ललित भवन, बेली रोड, पटना) के कार्यालय के पते पर स्थित, सरकारी कार्यालय

चित्र 2 एवं 3: कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत, बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड एवं बेल्ट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (उद्योग भवन, गाँधी मैदान, पटना) के पते पर स्थित, सरकारी/निजी कम्पनियों के कार्यालय

- बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सभी सात[7] सहायक कंपनियों का कार्यालय एक ही पते, अर्थात् 5वाँ तल, ए0 कॉम्प्लेक्स, मौर्य लोक, पटना पर स्थित था। हालाँकि, कार्यालय भवन जर्जर स्थिति में था, इन कम्पनियों के किसी भी कर्मचारी के अभाव में, न तो इसका उपयोग किया जा रहा था और न ही इसका रख–रखाव किया जा रहा था। ऐसे में, कार्यालय परिसर का एक बड़ा क्षेत्र (लगभग 14,000 वर्ग फुट) उपयोग किये जाने की स्थिति में नहीं था। अग्रेतर, स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना, भी उसी पते अर्थात् सोन भवन कॉम्प्लेक्स, दरोगा प्रसाद राय पथ, पटना–800001 पर स्थित थी, जो कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत था। शेष 13 सा0क्षे0उ0 को उनकी होल्डिंग कम्पनी/कम्पनियों के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
- 22 में से, 15 सा0क्षे0उ0 के पास मानवशक्ति नहीं था, जिसके कारण उनके मूलभूत अभिलेखों तथा लेखापुस्तकों को, वैधानिक दायित्वों के अनुपालन के लिए रख–रखाव एवं सुरक्षित नहीं किया जा रहा था। शेष सात सा0क्षे0उ0 में भी न्यूनतम कर्मचारी थे।

7.6.2 लेखाओं का रख–रखाव

कम्पनी अधिनियम, 1956/2013, की धारा 210/129, क्रमशः निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक कम्पनी को उचित लेखापुस्तकें तैयार करनी है, जिसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता शामिल होगा, जिसे कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इसलिए, इन सभी सा0क्षे0उ0 को उचित लेखापुस्तकों को रखने/के रख–रखाव की आवश्यकता थी तथा इन लेखाओं की प्रत्येक वर्ष में, कम से कम एक बार जाँच की जानी थी। प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखाओं को निर्धारित अवधि के भीतर अंतिमीकृत किया जाए एवं अंगीकार किया जाए।

हालाँकि, यह देखा गया किः

- सभी 22 नमूना चयनित अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखे बकाया थे, ये बकाया सात वर्ष से लेकर 45 वर्षों तक थे (बकाया लेखाओं का कम्पनी–वार विवरण, **परिशिष्ट 7.4** में विस्तृत है)। दो, तीन एवं 15 कम्पनियों के लेखें क्रमशः 10 से 20 वर्षों, 20 से 30 वर्षों एवं 30 से 40 वर्षों से बकाये थे।
- इन 22 नमूना चयनित अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, चार[8] ने, अपनी स्थापना के बाद से अपने प्रथम लेखे भी तैयार नहीं किये थे।
- लेखाओं को तैयार न करने के कारण न्यूनतम स्टाफ का भी न होना, उचित कार्यालय प्रतिष्ठान का न होना तथा संबंधित नियंत्रक प्रशासनिक विभागों द्वारा त्रुटिपूर्ण निगरानी थे।

---

[7] बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, बिहार इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, बिहार मेज़ प्रोडक्ट लिमिटेड, बिहार स्टेट ग्लेज्ड टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड, झंझारपुर पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मगध मिनरल्स लिमिटेड एवं विश्वामित्र पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

[8] बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कम्पनी मोहनिया लिमिटेड और स्काडा एग्रो बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड।

अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या इन सा0क्षे0उ0 में किए गए निवेश (₹ 420.87 करोड़) को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था तथा क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का उपयोग वांछित उद्देश्यों के लिए किया गया था/किया जा रहा था। लेखाओं को अंतिमीकृत करने में विलम्ब से उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के अतिरिक्त, सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी एवं रिसाव की आशंका थी।

7.6.3 राज्य सरकार द्वारा प्रदान बजटीय सहायता का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी/ऋण/अनुदान अथवा सब्सिडी के रूप में, बजटीय सहायता, इन सा0क्षे0उ0 की वेतन/पेंशन के भुगतान हेतु, देनदारियों के निर्वहन के लिए एक आवश्यकता बन गई थी, क्योंकि सभी नमूना चयनित सा0क्षे0उ0, 17 से 45 वर्ष तक की अवधि तक, अकार्यशील थे तथा, परिणामतः, राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना, के आदेशों के अनुपालन में, बिहार सरकार ने पाँच अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को, अपने कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिये, ऋण एवं अग्रिम के रूप में, बजटीय सहायता प्रदान की थी अर्थात् बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एच0एच0डी0सी0एल0) को ₹ 56.01 करोड़ (सितम्बर 2021); बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आई0डी0सी0एल0) को ₹ 20.00 करोड़ (अक्टूबर 2021); बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0टी0सी0एल0) को ₹ 4.25 करोड़ (सितंबर 2021) और बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एफ0डी0सी0एल0) को ₹ 0.87 करोड़ (अक्टूबर 2017 से मार्च 2020) तथा बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0पी0सी0डी0सी0एल0) को ₹ 46.64 करोड़ (सितम्बर/ अक्टूबर 2021) ।

22 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 17 के पास वेतन/पेंशन एवं अन्य संबंधित वैधानिक दायित्वों (ई0पी0एफ0 आदि) के मद में ₹ 399.08 करोड़ की देनदारियाँ थी। बिहार सरकार ने इन देनदारियों के निष्पादन के लिए पाँच सा0क्षे0उ0 को ₹ 127.77 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें से संबंधित कर्मचारियों को ₹ 92.85 करोड़ का भुगतान (अगस्त 2022 तक) किया गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान, प्रक्रियाधीन था **(परिशिष्ट 7.5)**।

7.6.4 परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था

परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन मुख्य रूप से प्रबंधन की जिम्मेदारी है तथा प्रबंधन द्वारा तय की गई आवधिकता के अनुसार, परिसम्पत्तियों को उचित समय अंतराल पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संयंत्र एवं मशीनरी, निवेश पंजी तथा अन्य परिसम्पत्तियों इत्यादि के समर्थन में रक्षित अभिलेखों की भी समय–समय पर प्रबंधन द्वारा रख–रखाव/संवीक्षा की जानी चाहिए। 14 सा0क्षे0उ0 के संबंध में, सम्पत्ति अर्थात् भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण **परिशिष्ट 7.6** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- दो सा0क्षे0उ0, अर्थात् बिहार स्कूटर्स लिमिटेड तथा बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड के मामले में, इनके कारखानों/परिचालन स्थानों/परिसरों को क्रमशः 2008 एवं अप्रैल 2022 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) को वापस कर दिया गया था/सुपुर्द कर दिया गया था।

- एक अन्य सा0क्षे0उ0 अर्थात् बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड के संबंध में, भूमि का मूल्य ₹ 105.79 करोड़ आकलित किया गया था तथा भूमि बियाडा को सुपुर्द (नवम्बर 2021) कर दी गई थी। हालाँकि, बियाडा ने भूमि के लिए भुगतान नहीं किया था (अगस्त 2022 तक)।
- बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0टी0सी0एल0) द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनः 2012–13) के अनुसार, कम्पनी की उत्पादन इकाइयाँ तीन अलग–अलग स्थानों पर स्थित थीं– यथा रेडीमेड गारमेंट्स, हाजीपुर; इण्डस्ट्रीयल कॉटन यार्न प्रोजेक्ट, पूर्णिया; तथा ओपन–एण्ड स्पिनिंग मिल्स, सीतामढ़ी। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार, कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 66.81 लाख था। हालाँकि, इन स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में, विस्तृत जानकारी, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी। कम्पनी प्रबंधन ने अपनी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया था। वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 52 (मार्च 2018) के आलोक में, उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने बी0एस0टी0सी0एल0 को अपनी सम्पत्ति 'जैसा है जहां है' के आधार पर बियाडा को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2020)। उक्त आदेश के अनुपालन में, बी0एस0टी0सी0एल0 द्वारा की गई कार्रवाई, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।
- 31 मार्च 2022 को, स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना, तथा उसकी तीन सहायक कम्पनियों के पास, कोई परिसंपत्ति नहीं थी।

चूँकि उपर्युक्त प्रथम चार सा0क्षे0उ0 की परिसंपत्तियाँ बियाडा को हस्तांतरित कर दी गई थी तथा बाद के चार सा0क्षे0उ0 के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं थी, इसलिए इन सा0क्षे0उ0 की परिसम्पत्ति की सुरक्षा के मामले पर चर्चा नहीं की गई है। शेष 14 सा0क्षे0उ0 की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में पायी गई कमियों पर चर्चा, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

उधोग विभाग

7.6.5 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आई0डी0सी0एल0)

बी0एस0आई0डी0सी0एल0 की छः[9] उत्पादन इकाइयाँ थीं। इसके अतिरिक्त, इसकी दो सहायक सा0क्षे0उ0 थीं, यथा बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (बी0पी0एम0एल0) एवं बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (बी0एस0एल0)। बी0एस0आई0डी0सी0एल0 की स्थापना 1960 में, बिहार राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने, स्थापित करने एवं क्रियान्वित करने हेतु, बिहार सरकार सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री तथा राँची स्थित हाई टेंशन इंसुलेटर प्रोजेक्ट के व्यवसाय को, सभी परिसम्पत्तियों, अधिकार विशेषाधिकारों एवं दायित्वों के साथ अधिग्रहण करने एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कम्पनी वित्तीय वर्ष 2005–06 से पूर्व निष्क्रिय हो गई थी।

बी0एस0आई0डी0सी0एल0 द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों[10] (जून 2019) के अनुसार, कम्पनी के पास 322.80 एकड़ भूमि थी, जिसका मूल्य ₹ 1,278.95 करोड़ था, तथा प्लांट एवं मशीनरी थी, जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था **(परिशिष्ट 7.6)**।

---

[9] झारखंड में हाई–टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री, बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री, मैलिएबल कास्ट आयरन फाउंड्री फैक्ट्री, स्वर्णरेखा वॉच फैक्ट्री तथा भागलपुर, बिहार में बिहार स्पन सिल्क मिल्स।

[10] बिहार एवं झारखंड सरकार के समिति का मूल्यांकन प्रतिवेदन।

एक कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वामित्व वाली भूमि के मूल अभिलेखों का रख–रखाव करे। हालाँकि, एक सहायक कम्पनी (बी0पी0एम0एल0) एवं तीन उत्पादन इकाइयों[11] की भूमि के मूल अभिलेख, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं पाए गए। मूल अभिलेखों के अभाव में, इन इकाइयों के अधिग्रहित भूमि के कुल क्षेत्रफल की पहचान नहीं की जा सकी तथा ऐसी भूमि पर अतिक्रमण से इंकार नहीं किया जा सकता था। कम्पनी के पास अपनी परिसम्पत्ति की देखभाल के लिए केवल न्यूनतम कर्मचारी थे। इस प्रकार, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए, कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

7.6.6 बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0पी0सी0डी0सी0एल0)

बी0एस0पी0सी0डी0सी0एल0 के पास, पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के 5वें तल पर स्थित, 14,000 वर्ग फुट क्षेत्र का कार्यालय था। उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) को सौंपे गये प्रतिवेदन (मार्च 2022) के अनुसार, इसकी सात सहायक कम्पनियों की सम्पत्ति में, विभिन्न स्थानों पर भूमि, कारखाने एवं गोदाम शामिल थे। प्रस्तुत प्रतिवेदन का विवरण इस प्रकार हैः

क्र0 सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य पसिम्पत्तियाँ
1.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	पूर्णिया में 6.84 एकड़ भूमि, इमारतें, लोहे के गोदाम तथा कैंटीन।
2.	मगध मिनरल्स लिमिटेड	बोधगया, बिहार में 10 एकड़ भूमि[12]।
3.	बिहार मेज़ प्रोडक्टस लिमिटेड	पंडौल (मधुबनी) में 18 एकड़ भूमि; गोदाम तथा संयंत्र एवं मशीनरी के साथ, कारखाना भवन।
4.	बिहार स्टेट ग्लेज्ड टाईल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड	डुमराँव (बक्सर) में 9.15 एकड़ भूमि; भवन एवं गोदाम।
5.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	बक्सर में 3.8 एकड़ भूमि; भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा औषधि इकाई भवन।
6.	झंझारपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	झंझारपुर (मधुबनी) में 3.8 एकड़ भूमि; मशीनरी।

बिहार ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (बी0एस0पी0सी0डी0सी0एल0 की सहायक कम्पनी) की परिसम्पत्ति में 5.5 एकड़ भूमि, भवन एवं गोदाम शामिल थे एवं इन सम्पत्तियों को बियाडा को हस्तांतरित (मार्च 2021 तक) कर दिया गया था।

किसी कम्पनी के स्वामित्त्व वाली भूमि के संबंध में, यह आवश्यक है कि कम्पनी ऐसी भूमि से संबंधित मूल अभिलेखों यथा भूमि का *खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा, रकबा,* स्वत्व अभिलेख आदि अपने पास रखे। हालाँकि, कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि का मूल अभिलेख, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं पाया गया। इन मूल अभिलेखों के अभाव में, भूमि के कुल क्षेत्रफल की पहचान नहीं की जा सकी एवं ऐसी भूमि पर अतिक्रमण से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। भूमि के अतिरिक्त अन्य परिसम्पत्तियों के संबंध में यह देखा गया कि मानवबल एवं भौतिक सत्यापन के अभाव में, परिसम्पत्तियाँ बिना पर्यवेक्षण/देखभाल के थी जिसपर चोरी/क्षति आदि का खतरा बना हुआ था। इन सम्पत्तियों की स्थिति नीचे दिए गए ***चित्र 4 एवं 5*** से स्पष्ट है, जो लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2022) लिये गये थे :

[11] इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री, बिहार स्टेट सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री तथा बिहार स्पन सिल्क मिल्स।

[12] बियाडा को 15 एकड़ जमीन हस्तांतरित होने के पश्चात्।

चित्र 4 एवं 5: बिहार स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी छः सहायक कम्पनियों (पाँचवा तल, मौर्य लोक कॉम्पलेक्स, पटना) के मुख्यालय की जर्जर स्थिति

सूचना प्रावैधिकी विभाग

7.6.7 बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी0एम0एस0एल0)

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ई0डी0सी0एल0) का एक सहायक सा0क्षे0उ0, बी0एम0एस0एल0, को खनन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं यंत्रों के निर्माण, आयात तथा निर्यात के लिए, 1986 में निगमित किया गया था। बी0एम0एस0एल0 का वाणिज्यिक परिचालन 1998 से बंद कर दिया गया था।

बी0एम0एस0एल0 के पास, कांद्रा औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद (झारखंड) में स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र के लिए, 3.73 एकड़ की पट्टाधारी भूमि थी। पट्टा अनुबन्ध रद्द कर (सितंबर 2008) सम्पत्तियों[13] को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो, झारखण्ड द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। इस रद्दीकरण को माननीय उच्च न्यायालय, राँची, झारखण्ड में चुनौती दी गई (2010) एवं मामला विचाराधीन था। चूँकि सा0क्षे0उ0 की परिसम्पत्तियों को बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकार में ले लिया था, इसलिए बी0एम0एस0एल0 द्वारा इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न ही नहीं हुआ।

7.6.8 बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी0वी0एस0एल0)

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ई0डी0सी0एल0) का एक सहायक सा0क्षे0उ0, बी0वी0एस0एल0, को 1984 में सभी प्रकार के वीडियो संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं उनके कल–पुर्जों के निर्माण, आयात, निर्यात, संयोजन तथा वितरण के लिए स्थापित किया गया था। बी0वी0एस0एल0 का वाणिज्यिक परिचालन 1998 से बंद कर दिया गया था।

बी0वी0एस0एल0 के दो विनिर्माण–सह–संयोजन संयंत्र थे, एक झारखण्ड में तथा एक बिहार में। एक संयंत्र, एक एकड़ पट्टे की भूमि पर, नामकुम (राँची), झारखण्ड में स्थित था। इस भूमि का पट्टा अनुबन्ध झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा) ने 2012 में रद्द कर दिया था। हालाँकि, बी0वी0एस0एल0 ने इस रद्दीकरण को माननीय उच्च न्यायालय, राँची, झारखण्ड में चुनौती दी थी (अप्रैल 2012) तथा मामला विचाराधीन था। चूँकि सम्पत्तियों को जियाडा ने अपने अधिकार में ले लिया था, इसलिए बी0वी0एस0एल0 द्वारा इन सम्पत्तियों की सुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न ही नहीं हुआ।

[13] सभी संरचनाओं सहित पट्टे पर दी गई भूमि।

कम्पनी का एक अन्य संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (वैशाली), बिहार में 2.61 एकड़ भूभाग पर स्थित था। उद्योग विभाग, बिहार सरकार, ने कम्पनी से अनुरोध किया था (अगस्त 2013) कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की निकास नीति[14] के अन्तर्गत, पट्टाधारी भूमि को, भूमि के पट्टे की शेष अवधि के लिए ₹ 2.17 करोड़ की वापसी योग्य राशि के बदले में, बियाडा को सुपुर्द कर दिया जाए। हालाँकि, भूमि अभी भी कम्पनी के अधिकार में थी (जून 2022 तक)।

निधियों के अभाव एवं मानवबल की कमी के कारण, भंडार तथा स्टॉक सहित कारखाना भवन की स्थिति जर्जर हो गई थी, जैसा कि कम्पनी प्रबंधन के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (जुलाई 2022) लिए गए ***चित्र 6 एवं 7*** से स्पष्ट है।

चित्र 6: औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (वैशाली) में बी0वी0एस0एल0 के विनिर्माण संयंत्र की छत का गलियारा

चित्र 7: औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर (वैशाली) में बी0वी0एस0एल0 के विनिर्माण संयंत्र में भंडार/स्टॉक

ऊपर दिए गए चित्रों से यह स्पष्ट है कि: (i) संयंत्र की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी (ii) गाद अवशेष तथा भंडार/स्टॉक फर्श पर फैला हुआ था और (iii) भवन किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि को निष्पादित करने की स्थिति में नहीं था।

7.6.9 बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एफ0डी0सी0एल0)

बी0एस0एफ0डी0सी0एल0 को 1975 में वन उपज (मुख्यतः केंदू पत्तियाँ[15]) का पता लगाने तथा वन उत्पादों से संबंधित उद्योगों को विकसित करने के लिए निगमित किया गया था। ''लघु वन उपज (मुख्यतः केंदू पत्तियाँ)'' के संग्रहण, प्रसंस्करण, भण्डारण एवं वितरण जैसी गतिविधियों को निगम से वापस लेने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक संकल्प (अक्टूबर 2003) पारित करने के बाद, 2003 से कम्पनी की गतिविधियाँ बंद हो गई थीं।

31 मार्च 2002 को (मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार), बी0एस0एफ0डी0सी0एल0 की कुल स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य, जिसमें पट्टाधारी भूमि (₹ 0.05 लाख), गोदाम, संयंत्र एवं मशीनरी तथा वाहन शामिल थे, ₹ 50.09 लाख थी। हालाँकि, 31 मार्च 2016 (वर्ष 2015–16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) तक यह घटकर केवल ₹ 1.78 लाख रह गया था तथा समय व्यतीत हो जाने के साथ, रखरखाव न होने के कारण, ये परिसम्पत्तियाँ अप्रचलित हो गई थीं।

---

[14] बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न अकार्यशील कम्पनियों को आवंटित भूखंडों के संबंध में, भूमि के समर्पण तथा पट्टे की शेष राशि की वापसी के लिए एक निकास नीति प्रारम्भ की।

[15] केंदू के पत्तों का उपयोग "बीड़ी" (पत्ते से लपेटी गई सिगरेट का एक स्वदेशी रूप) लपेटने के लिए किया जाता है।

7.6.10 बिहार सॉल्वेंट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (बी0एस0सी0एल0)

बी0एस0सी0एल0 को 1979 में, बी0एस0एफ0डी0सी0एल0 के सहायक सा0क्षे0उ0 के रूप में निगमित किया गया था। मार्च 1996 से, अर्थात 26 वर्षों से अधिक समय से, इसने अपना परिचालन बंद कर दिया था।

अभिलेखों (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनः 2002–03) के अनुसार, इसकी स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 75.63 लाख था जिसमें मुख्यतः भूमि (₹ 1.75 लाख), भवन (₹ 49.83 लाख) तथा संयंत्र एवं मशीनरी (₹ 20.95 लाख) शामिल थे। इसकी परिसम्पत्तियाँ निष्क्रिय एवं अकार्यशील स्थिति में थी तथा इसलिए, समय व्यतीत हो जाने के साथ एवं उनका रख–रखाव न होने (अगस्त 2022) के कारण अप्रचलित हो गई थी। अग्रेतर, मानवबल की कमी के कारण, इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

7.6.11 बिहार स्टेट टैनिन एक्स्ट्रैक्ट लिमिटेड (बी0एस0टी0इ0एल0)

बी0एस0टी0ई0एल0 को 1984 में, बी0एस0एफ0डी0सी0एल0 के सहायक सा0क्षे0उ0 के रूप में, टैनिन के निष्कर्षण के उद्देश्य से, निगमित किया गया था, जिसके लिए लातेहार (झारखण्ड) में एक उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था। बी0एस0टी0ई0एल0 ने 1996 से परिचालन बंद कर दिया था।

प्रतिवेदन (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनः 2001–02) के अनुसार, इसकी स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 1.40 करोड़ था, जिसमें मुख्यतः भूमि (₹ 2.62 लाख), भवन (कारखाना एवं गैर–कारखाना) (₹ 60.62 लाख), संयंत्र एवं मशीनरी (₹ 76.27 लाख) आदि शामिल थे। चूँकि कम्पनी ने 1995–96 (अर्थात् 25 वर्षों से अधिक समय) से काम करना बंद कर दिया था, ये परिसम्पत्तियाँ निष्क्रिय एवं अकार्यशील स्थिति में थीं तथा इसलिए, अप्रचलित हो गई थी (अगस्त 2022)। अग्रेतर, मानवबल की कमी के कारण, इन परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

चूँकि इन अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की संपत्तियों (भूमि को छोड़कर) का उपयोग लम्बे समय से नहीं हो पाया था, कालांतर में इनका क्षरण होता गया।

यदि इन सा0क्षे0उ0 को समय पर बंद कर दिया गया होता, तो इन सा0क्षे0उ0 की संपत्तियों का निपटान किया जा सकता था, एवं इनसे प्राप्त धन राशि का उपयोग, इनकी बकाया देनदारियों के निपटान के लिये किया जा सकता था।

7.7 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन/पुनरूद्धार/परिसमापन/परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की स्थिति

सार्वजनिक उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए, न तो इन सा0क्षे0उ0, तथा न ही सरकार के पास, कोई योजना/प्रस्ताव था। इनकी देनदारियाँ चुकाने के बाद, सरकार ने इन 22 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को बंद करने का निर्णय लिया था। इन सा0क्षे0उ0 के समापन/परिसमापन की वर्तमान स्थिति (अगस्त 2022 तक) पर नीचे चर्चा की गई है।

उद्योग विभाग

7.7.1 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आई0डी0सी0एल0)

झारखण्ड राज्य के गठन (नवम्बर 2000) के उपरांत, बी0एस0आई0डी0सी0एल0 की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को बिहार तथा झारखण्ड के मध्य विभाजित किया जाना था। दोनों राज्यों ने परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यांकन के लिए तौर–तरीके तैयार कर लिए (मई 2018) थे। तदनुसार, जून 2019, में निगम की परिसम्पत्तियों एवं

देनदारियों का मूल्य ₹ 1,278.95 करोड़ था। हालाँकि, इन परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को अभी तक दोनों राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया गया था तथा, इस प्रकार, बी0एस0आई0डी0सी0एल0 के समापन की प्रक्रिया लंबित थी (अगस्त 2022)।

7.7.2 बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (बी0पी0एम0एल0)

बी0पी0एम0एल0 की स्थापना 1977 में, पेपर बोर्ड एवं लुगदी के सभी प्रकार और वर्गों के निर्माण तथा व्यापार के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें लिखावट के लिए कागज, अखबारी कागज, रैपिंग कागज, टिश्यू कागज आदि शामिल थे। हालाँकि, कम्पनी ने इन गतिविधियों को प्रारम्भ नहीं किया था तथा अपनी स्थापना के समय से ही अकार्यशील रही।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प 52 (मार्च 2018) के अनुसार, बी0पी0एम0एल0 की परिसम्पत्ति बियाडा को हस्तांतरित की जानी थी तथा देनदारियों के निष्पादन के पश्चात् कम्पनी के समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी थी। हालाँकि, यह देखा गया कि बी0पी0एम0एल0 की सम्पत्ति अभी तक बियाडा को सुपुर्द नहीं की गयी थी (अगस्त 2022 तक)। अग्रेतर, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम0सी0ए0), भारत सरकार के अनुसार, कम्पनी पर बैंक ऑफ इंडिया का ₹ 7.40 करोड़ का शुल्क बकाया था तथा बी0पी0एम0एल0 ने इस शुल्क को चुकाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। इस प्रकार, समापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी थी (अगस्त 2022 तक)।

7.7.3 बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एच0एच0डी0सी0एल0)

बिहार में हथकरघा, बिजली चलित करघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों की स्थापना को, प्रोत्साहन देने, सहायता करने अथवा वित्तपोषण करने के उद्देश्य से, बी0एस0एच0एच0डी0सी0एल0 को 1974 में निगमित किया गया था।

कम्पनी ने वित्त वर्ष 1996–97 से अपना परिचालन बंद कर दिया था। इसने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष, स्वैच्छिक समापन के लिए एक याचिका (2016) दायर की थी। हालाँकि, वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 52 (मार्च 2018) के आलोक में, जिसमें विभाग ने कर्मचारियों के वेतन के बकाया के रूप में, कम्पनी की देनदारियों का निपटान करने का निर्णय लिया था, कम्पनी ने अपनी याचिका वापस ले ली (नवम्बर 2018)। उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कम्पनी को ₹ 56.01 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया था तथा कम्पनी ने इस राशि में से बकाया वेतन के लिए ₹ 39.45 करोड़ (मार्च 2022 तक) का भुगतान किया था। चूँकि देनदारियों का भुगतान प्रगति में था, समापन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी थी (अगस्त 2022)।

7.7.4 बिहार स्कूटर्स लिमिटेड (बी0एस0एल0)

बी0एस0एल0, बी0एस0आई0डी0सी0एल0 की एक सहायक कम्पनी है, जिसे 1978 में कम्पनी अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत निगमित किया गया था। कम्पनी ने बियाडा द्वारा आवंटित पट्टाधारी भूमि पर, फथुहा में एक स्कूटर विनिर्माण इकाई, की स्थापना की थी। हालाँकि, निधियों के अभाव एवं नई तकनीक के आगमन के कारण, वित्त वर्ष 1987–88 के दौरान इसकी उत्पादन गतिविधियाँ बंद हो गई थी।

बी0एस0एल0 की परिसम्पत्तियाँ ₹ 1.06 करोड़ में बियाडा को हस्तांतरित कर दी गई थी (2008), जिसका भुगतान अंतिम निपटान के रूप में बियाडा द्वारा कर दिया गया था। हालाँकि, बी0एस0एल0 पर (अगस्त 2022), अपने कर्मचारियों के वेतन/पेंशन के लिए,

₹ 4.82 करोड़ की देनदारी थी। इस प्रकार, कम्पनी की देनदारी को उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से समायोजित नहीं किया जा सकता था। इसके कारण, समापन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गयी थी (अगस्त 2022 तक)।

7.7.5 बिहार स्टेट टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0टी0सी0एल0)

बी0एस0टी0सी0एल0 की स्थापना 1978 में, कपड़े, धागे एवं अन्य संबंधित/सहायक गतिविधियों से संबंधित व्यवसाय के लिए की गई थी।

भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, उद्योग विभाग ने कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए, बी0एस0टी0सी0एल0 को, ऋण के रूप में, ₹ 4.25 करोड़ प्रदान किये (सितम्बर 2021) थे। कम्पनी ने इस उद्देश्य के लिए ₹ 2.16 करोड़ (मार्च 2022 तक) का भुगतान कर दिया था तथा अन्य कर्मचारी संबंधी वैधानिक दायित्वों (ई0पी0एफ0 आदि) के निर्वहन के लिए, अपने बैंक खाते में ₹ 2.09 करोड़ रख लिया था। चूँकि देनदारियों के निर्वहन की प्रक्रिया प्रगति में थी, समापन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी (अगस्त 2022 तक)।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

7.7.6 बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी0वी0एस0एल0) एवं बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड, पटना (बी0एम0एस0एल0)

बी0वी0एस0एल0 तथा बी0एम0एस0एल0 पर, अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन के बकाया (31 मार्च 2022 तक) से संबंधित भुगतान के लिए, क्रमशः ₹ 13.80 करोड़ एवं ₹ 4.64 करोड़ की बकाया देनदारियाँ थी। चूँकि इन सा0क्षे0उ0 की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विभाजन का मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इसलिए बिहार एवं झारखण्ड के विभाजन के 21 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी, इन दोनों कम्पनियों की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन नहीं हुआ था। सूचना प्रावैधिकी विभाग (बिहार सरकार) के सचिव ने, वर्ष 2019 और 2020 के दौरान, कई अवसरों पर, झारखण्ड सरकार से बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000, के प्रावधानों के अन्तर्गत, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया था। हालाँकि, अभी तक मामले का समाधान नहीं हुआ था। इस प्रकार, इन सा0क्षे0उ0 के समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी।

जल संसाधन विभाग

7.7.7 स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड, पटना (एस0ए0बी0सी0ओ0) तथा इसके तीन सहायक सा0क्षे0उ0 अर्थात् स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इंडस्ट्रीज कम्पनी मोहनिया लिमिटेड, स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इंडस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड एवं स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इंडस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड

स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, पटना (एस0ए0बी0सी0ओ0) तथा इसके तीन सहायक सा0क्षे0उ0 को, कृषि बीज उत्पादन से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए, 1993 में निगमित किया गया था। तत्पश्चात्, इन सा0क्षे0उ0 को हस्तांतरित की गई कृषि भूमि, राज्य सरकार द्वारा बीज उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु वापस ले ली गई, जिसके कारण इन सा0क्षे0उ0 की गतिविधियाँ कम हो गई तथा वे अंततः अकार्यशील हो गए।

स्काडा की कार्यकारी समिति ने इन सा0क्षे0उ0 के समापन का निर्णय लिया (अगस्त 2000)। हालाँकि, एस0ए0बी0सी0ओ0 के तीन सहायक सा0क्षे0उ0 का सूची से नाम काटने की प्रक्रिया, जून 2010 से लंबित थी, क्योंकि कम्पनी रजिस्ट्रार ने पाया कि एस0बी0आई0, संभलपुर, ओडिशा एवं ओडिशा राज्य वित्तीय निगम, ओडिशा, को भुगतान के लिए ₹ 2.10 करोड़ (एस0ए0बी0सी0ओ0, मोहनिया), ₹ 2.10 करोड़ (एस0ए0बी0सी0ओ0, डेहरी) तथा ₹ 0.60 करोड़ (एस0ए0बी0सी0ओ0, औरंगाबाद), के ऋण बकाया थे। इस मामले पर, कम्पनी रजिस्ट्रार को जवाब देने (नवम्बर 2019) में, प्रबंधन को लगभग नौ वर्ष लग गए। इस विलम्ब के कारण, मामले का समाधान नहीं हुआ था तथा एस0ए0बी0सी0ओ0, एवं उसके तीन सहायक सा0क्षे0उ0 की, सूची से नाम काटने की प्रक्रिया, लंबित थी (अगस्त 2019)।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

7.7.8 बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0एफ0डी0सी0एल0), बिहार सॉल्वेंट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (बी0एस0सी0एल0) एवं बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (बी0एस0टी0ई0एल0)

31 मार्च, 2022 तक, बी0एस0एफ0डी0सी0एल0 पर अपने कर्मचारियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य परिलब्धियों के बकाए से संबंधित, ₹ 46.87 करोड़ की संचित देनदारी थी। इसी तरह, बी0एस0सी0एल0 एवं बी0एस0टी0ई0एल0 पर 31 मार्च 2022 तक, वेतन, पेंशन एवं अन्य परिलब्धियों से संबंधित, क्रमशः ₹ 6.13 करोड़ और ₹ 3.03 करोड़ की संचित देनदारियाँ थीं।

झारखण्ड राज्य के गठन के उपरांत, इन सा0क्षे0उ0 की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को बिहार एवं झारखण्ड के मध्य विभाजित किया जाना था। हालाँकि, बिहार एवं झारखण्ड के मध्य इन सा0क्षे0उ0 की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के अविभाजन के कारण, इन सा0क्षे0उ0 के समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी (अगस्त 2022)।

अनुशंसा :

चूँकि इन अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के निरंतर अस्तित्व में बने रहने से कर्मचारियों एवं स्थापना व्यय के रूप में राजकोष पर व्यापक बोझ पड़ता है, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार :

(i) चार अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के निरंतरता अथवा समापन के संबंध में, उचित निर्णय ले सकती है।

(ii) शेष अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के समापन की प्रक्रिया में शीघ्रता ला सकती है।